

वादीगण-

1. मोडसिंह पुत्र दयालसिंह

2. मानसिंह पुत्र दयालसिंह

जातियान-राजपूत निवासीगण-लुणसरा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. सुगनकंवर पत्नी दयालसिंह

जाति-राजपूत निवासी-लुणसरा, तहसील जायल (नागौर)

2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से

2. प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित व अधिवक्ता इस्लामुदीन काजी।

3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 10.11.2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा लुणसरा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 241 रकबा 5.8113 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित खेताय जो वादीगण के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुश्तैनी बडेर की भूमि होने से वादीगण का हक अधिकार रहता रहा है। वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 10.11.2021 को स्वयं उपस्थित होकर ईकवाली जबाब प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत लुणसरा में पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी ने की। ईकवाली जबाब शामिल


10/11/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह वादी मोडसिंह व प्रतापसिंह के पेश हुवे, जमाबन्दी ग्राम लुणसरा तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 1003 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब एवं स्वयं उपस्थिति के साथ साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब सहमति से वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 10.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 10.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हमारी राय में मौजा लुणसरा के वादग्रस्त खेतार्यों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिरसे की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतार्यों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 241 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण ने सहखातेदारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा लुणसरा के खेत खसरा नंबर 241 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 सुगन कंवर के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा लुणसरा के खेत खसरा नंबर 241 में वादीगण संख्या 1 व 2 कमरा मोडसिंह व मानसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 सुगनकंवर के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



10.11.2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्या दीवाणी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलारा रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :239/2021

वादीगण-

1. मोडसिंह पुत्र दयालसिंह
 2. मानसिंह पुत्र दयालसिंह
- जातियान-राजपूत निवासीगण-लुणसरा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. सुगनकंवर पत्नी दयालसिंह
जाति-राजपूत निवासी-लुणसरा, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित व अधिवक्ता इस्लामुदीन काजी
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा लुणसरा के खेत खसरा नंबर 241 में वादीगण संख्या 1 व 2 कमश मोडसिंह व मानसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 सुगनकंवर के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

राजस्व वाद 239/2021


जीसीएमएस नंबर-

मोडसिंह वगैरह बनाम् सुगन कंवर वगैरह

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख10.11.2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।


10.11.2021
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)